

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,  
आजमगढ़, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, उन्नाव एवं मैनपुरी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-9फ/राज्य एन0सी0डी0 सेल/2026-27/7267

,लखनऊ/दिनांक 09/10/2026

**विषय:-“Program for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases (NCDs) in Rural Areas in India” के अंतर्गत संचालित “Rural NCD Prevention, Screening, Referrar & Follow-up by Trained Health Worker” कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर एवं स्ट्रोक की प्राथमिकता स्तर पर पहचान, रोकथाम, स्वास्थ्य जागरूकता, रेफरल एवं फॉलो-अप हेतु सहयोगात्मक कार्यक्रम संचालित किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक, भारतीय ग्रामीण रोग नियंत्रक संस्थान, लखनऊ के अनुरोध पत्र सं0 BGRNSLUCK/52401 दिनांक 01/10/2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (छायाप्रति संलग्न) जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि “Program for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases (NCDs) in Rural Areas in India” के अंतर्गत संचालित “Rural NCD Prevention, Screening, Referrar & Follow-up by Trained Health Worker” कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर एवं स्ट्रोक की प्राथमिकता स्तर पर पहचान, रोकथाम, स्वास्थ्य जागरूकता, रेफरल एवं फॉलो-अप हेतु सहयोगात्मक कार्यक्रम संचालित किया जाना है।

उक्त के क्रम में संस्था द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के सापेक्ष संस्था को जनपद आजमगढ़, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, उन्नाव एवं मैनपुरी में कार्य करने हेतु निम्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. उक्त गतिविधियों के सम्पादन के क्रम में एकत्र किया गया किसी भी प्रकार के डाटा पर संपूर्ण अधिकार सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी का होगा तथा मुख्य चिकित्साधिकारी की अनुमति बिना उक्त डाटा को अन्यत्र प्रकाशित अथवा साझा नहीं किया जा सकता है।
2. संस्था द्वारा की जाने वाली गतिविधियों तथा मानव संसाधनों से सम्बन्धित समस्त प्रकार का व्यय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
3. पायलट चरण में, 6 जिलों-आजमगढ़, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, उन्नाव एवं मैनपुरी को चुना जाएगा।
4. प्रस्तावित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाएंगे।
5. एक्शन प्लान तैयार करने के लिए जिला नोडल अधिकारियों, ब्लॉक MOIC और संबंधित संगठनों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की जाएगी।
6. कम्युनिटी वॉलंटियर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किया जाएगा।
7. कम्युनिटी वॉलंटियर्स राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के कामकाज में दखल नहीं देंगे और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ अनुशासन और तालमेल बनाए रखेंगे।
8. अगर उक्त संगठन के कम्युनिटी वॉलंटियर्स की ओर से कोई गलत काम, लापरवाही या बुरा बर्ताव देखा जाता है या उसकी शिकायत मिलती है, तो सरकार या उसके अधिकृत अधिकारियों को इस गतिविधि को रोकने का अधिकार होगा।

9. इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार पर कोई वित्तीय जिम्मेदारी नहीं होगी।

अतः आपसे अपेक्षित है कि आप उपरोक्तानुसार संस्था को तकनीकी सहयोग प्रदान करते हुये सम्बन्धित गतिविधियों को कार्यान्वित कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य हेतु संस्था अथवा किसी अन्य सहयोगी संस्था को किसी भी प्रकार का वित्तीय सहयोग प्रदान नहीं किया जायेगा।

संलग्नक—यथोक्त

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

पत्रांक:—9फ/राज्य एन0सी0डी0 सेल/2026-27/

तद्दिनांक

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।
2. सचिव, भारतीय ग्रामीण रोग नियंत्रण संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

निदेशक (स्वास्थ्य),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,  
आजमगढ़, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, उन्नाव एवं मैनपुरी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-9फ/राज्य एन0सी0डी0 सेल/2026-27/

,लखनऊ/दिनांक 09/10/2026

**विषय:-“Program for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases (NCDs) in Rural Areas in India” के अंतर्गत संचालित “Rural NCD Prevention, Screening, Referrar & Follow-up by Trained Health Worker” कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर एवं स्ट्रोक की प्राथमिकता स्तर पर पहचान, रोकथाम, स्वास्थ्य जागरूकता, रेफरल एवं फॉलो-अप हेतु सहयोगात्मक कार्यक्रम संचालित किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक, भारतीय ग्रामीण रोग नियंत्रक संस्थान, लखनऊ के अनुरोध पत्र सं0 BGRNSLUCK/52401 दिनांक 01/10/2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (छायाप्रति संलग्न) जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि “Program for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases (NCDs) in Rural Areas in India” के अंतर्गत संचालित “Rural NCD Prevention, Screening, Referrar & Follow-up by Trained Health Worker” कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर एवं स्ट्रोक की प्राथमिकता स्तर पर पहचान, रोकथाम, स्वास्थ्य जागरूकता, रेफरल एवं फॉलो-अप हेतु सहयोगात्मक कार्यक्रम संचालित किया जाना है।

उक्त के क्रम में संस्था द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के सापेक्ष संस्था को जनपद आजमगढ़, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, उन्नाव एवं मैनपुरी में कार्य करने हेतु निम्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. उक्त गतिविधियों के सम्पादन के क्रम में एकत्र किया गया किसी भी प्रकार के डाटा पर संपूर्ण अधिकार सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी का होगा तथा मुख्य चिकित्साधिकारी की अनुमति बिना उक्त डाटा को अन्यत्र प्रकाशित अथवा साझा नहीं किया जा सकता है।
2. संस्था द्वारा की जाने वाली गतिविधियों तथा मानव संसाधनों से सम्बन्धित समस्त प्रकार का व्यय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
3. पायलट चरण में, 6 जिलों-आजमगढ़, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, उन्नाव एवं मैनपुरी को चुना जाएगा।
4. प्रस्तावित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाएंगे।
5. एक्शन प्लान तैयार करने के लिए जिला नोडल अधिकारियों, ब्लॉक MOIC और संबंधित संगठनों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की जाएगी।
6. कम्युनिटी वॉलंटियर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किया जाएगा।
7. कम्युनिटी वॉलंटियर्स राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के कामकाज में दखल नहीं देंगे और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ अनुशासन और तालमेल बनाए रखेंगे।
8. अगर उक्त संगठन के कम्युनिटी वॉलंटियर्स की ओर से कोई गलत काम, लापरवाही या बुरा बर्ताव देखा जाता है या उसकी शिकायत मिलती है, तो सरकार या उसके अधिकृत अधिकारियों को इस गतिविधि को रोकने का अधिकार होगा।

9. इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार पर कोई वित्तीय ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

अतः आपसे अपेक्षित है कि आप उपरोक्तानुसार संस्था को तकनीकी सहयोग प्रदान करते हुये सम्बन्धित गतिविधियों को कार्यान्वित कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य हेतु संस्था अथवा किसी अन्य सहयोगी संस्था को किसी भी प्रकार का वित्तीय सहयोग प्रदान नहीं किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त

1  
महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

पत्रांक:-9फ/राज्य एन0सी0डी0 सेल/2026-27/7268-69

तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।
2. सचिव, भारतीय ग्रामीण रोग नियंत्रण संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

9/11/26  
निदेशक (स्वास्थ्य),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,



# भारतीय ग्रामीण रोग नियंत्रक संस्थान

We Promote Tele Health, Patient and RMP through Health Worker at a Sub Center or peripheral Center & Consultation between Patient and RMP through a Care Giver Under the Guidelines of Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette, and Ethics) Regulations 2020 (Telemedicine) Passed by the Govt. of India.

Ref. **BBRNSLUCK/52401**

Date **01/10/2026**

सेवा में,  
महानिदेशक महोदय,  
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय: **"Program for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases (NCDs) in Rural Areas in India"** के अंतर्गत संचालित **Rural NCD Prevention, Screening, Referral & Follow-up by Trained Health Worker** कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर एवं स्ट्रोक की प्राथमिक स्तर पर पहचान, रोकथाम, स्वास्थ्य जागरूकता, रेफरल एवं फॉलो-अप हेतु सहयोगात्मक कार्यक्रम संचालित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव।

महोदय,

सादर निवेदन है कि भारतीय ग्रामीण रोग नियंत्रक संस्थान एक पंजीकृत संस्था है। संस्थान राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या को कम करने हेतु आम-जन के सहयोग से मुख्य रूप से उ0प्र0 के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने हेतु कार्य कर रही है। जिसके अंतर्गत उ0प्र0 के विभिन्न जनपद (आजमगढ़, मऊ, देवरिया, बलिया, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, उन्नाव, मैनपुरी, बलरामपुर, बहराइच, रायबरेली, सुल्तानपुर, रामपुर, गोरखपुर, गाजीपुर) आदि से लगभग 8000 ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मी / चिकित्सक सहायक को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी/केयर गिवर ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पर जरूरत मंद लोगों को प्राथमिक स्तर पर सहयोग एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सम्बन्धित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम-जन तक पहुंचाने में सहयोग कर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने हेतु कार्य कर रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा गैर-संचारी रोगों (Non-Communicable Diseases) की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर एवं स्ट्रोक जैसी बीमारियों की समय से पहचान, रोकथाम, उपचार तथा फॉलो-अप पर विशेष बल दिया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को और अधिक प्रभावी बनाने तथा ग्रामीण जनसमुदाय को प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं उचित स्वास्थ्य सुविधा से जोड़ने के उद्देश्य से भारतीय ग्रामीण रोग नियंत्रक संस्थान, लखनऊ द्वारा संचालित कार्यक्रम **"Program for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases (NCDs) in Rural Areas in India"** के अंतर्गत **"Rural NCD, Prevention, Screening, Referral & Follow-up by Trained Health Worker"** सहयोगात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रस्तावित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान द्वारा प्रशिक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मी/चिकित्सक सहायक अपने निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में मधुमेह रक्तचाप, स्ट्रोक, कैंसर आदि गैर-संचारी रोगों के प्रति आम-जन में स्वास्थ्य जागरूकता लाना, जोखिम कारकों की पहचान, प्राथमिक स्तर पर स्क्रीनिंग में सहयोग, संदिग्ध रोगियों की पहचान, उचित स्वास्थ्य केंद्र पर रेफरल तथा रेफर किए गए रोगियों के फॉलो-अप में सहयोग करेंगे।

#### **प्रस्तावित कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य**

1. ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप के जोखिम वाले व्यक्तियों की प्राथमिक स्तर पर पहचान करना।
2. कैंसर के संभावित चेतावनी संकेतों एवं जोखिम कारकों के संबंध में ग्रामीण जनता को जागरूक करना।
3. स्ट्रोक के चेतावनी संकेतों की पहचान एवं समय पर अस्पताल पहुंचाने के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना।
4. तंबाकू सेवन, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, अस्वास्थ्यकर खान-पान आदि जोखिम कारकों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना।
5. संदिग्ध रोगियों को निकटतम अरोग्य केन्द्र (Health & Wellness Centre)/उप-स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC अथवा जिला अस्पताल तक उचित रेफरल उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
6. रेफर किए गए रोगियों के फॉलो-अप एवं स्वास्थ्य सुविधा से जुड़े रहने में सहयोग करना।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य जागरूकता एवं NCD screening camps आयोजित करना।

#### **प्रस्तावित कार्यप्रणाली**

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मी अपने निर्धारित क्षेत्र में परिवारों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं जोखिम आकलन करेंगे। आवश्यकतानुसार BP, वजन, BMI तथा उपलब्ध प्रोटोकॉल/सुविधा के अनुसार रक्त ग्लूकोज की प्राथमिक स्क्रीनिंग में सहयोग किया जाएगा।

कैंसर के मामले में मौखिक, स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से संबंधित जोखिम कारकों एवं संदिग्ध चेतावनी संकेतों की पहचान कर व्यक्ति को उचित स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकीय जांच हेतु रेफर किया जाएगा एवं जागरूकता करने का कार्य किया जायेगा।

स्ट्रोक के मामले में FAST (Face, Arm, Speech, Time) जैसे सरल चेतावनी संकेतों के माध्यम से ग्रामीण जनता एवं परिवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा संदिग्ध आपातकालीन रोगी को तत्काल चिकित्सा सुविधा तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

#### रेफरल व्यवस्था

कार्यक्रम में निम्न प्रकार की रेफरल व्यवस्था विकसित की जाएगी—  
ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मी/चिकित्सक सहायक

↓

उप-स्वास्थ्य केंद्र/अरोग्य केन्द्र Health & Wellness Centre

↓

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC)

↓

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC)

↓

जिला अस्पताल/उच्च चिकित्सा केंद्र रोगी की स्थिति के अनुसार उसे सीधे उपयुक्त उच्च स्वास्थ्य संस्थान पर रेफर किया जा सकेगा।

#### संस्थान द्वारा प्रस्तावित सहयोग

##### भारतीय ग्रामीण रोग नियंत्रक संस्थान द्वारा:

- ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण,
- स्वास्थ्य शिक्षा एवं IEC सामग्री,
- स्क्रीनिंग एवं रेफरल फॉर्म,
- रोगी फॉलो-अप रजिस्टर,
- स्वास्थ्य जागरूकता शिविर,
- NCD screening camps,

संस्थान द्वारा संचालित **Program for Prevention and Control of Diseases Rural Areas in India के अन्तर्गत "Rural NCD Prevention, Screening, Referral & Follow-up by Trained Health Worker"** कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का विकल्प बनना नहीं है, बल्कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ0प्र0 द्वारा संचालित **National Programme for Non Communicable Disease (NPNCD)** में निःशुल्क सहयोग कर ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे आम लोगों को संस्थान के स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से लाभ दिलाना एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को बेहतर कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या को कम करना है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए विभागीय अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने की कृपा करें, ताकि ग्रामीण जनसमुदाय को गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, प्राथमिक पहचान, समयबद्ध रेफरल एवं फॉलो-अप की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग किया जा सके।

#### प्रतिलिपि-

डा० अल्का शर्मा जी, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, N.C.D., अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (उ0प्र0)

मोबाइल: 9565600144

दिनांक: 10/09/2026

ई-मेल: irtchealthservice@gmail.com

भारतीय  
Bhartiya Gramin Roga Niyantarak Sansthan  
साचिव  
Lucknow (U.P.)  
भारतीय ग्रामीण रोग नियंत्रक संस्थान  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

